

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क्र०सं०	अपील सं०	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनयान	निर्णय दिनांक	बुल पृष्ठ
1	133/25	2025/204	09.09.2025	भरतू बनाम तहसीलदार वजीरपुर	24.11.2025	1 लगायत 2

1. भरतू पुत्र मदन मीना उम्र 65 साल निवासी डोब तहसील बजीरपुर जिला सवाई माधोपुर ।
—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर ।
—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:—

अपीलार्थी की ओर से :— विद्वान अभिभाषक श्री हुकम सिंह गुर्जर ।

रेस्पोडेन्ट की ओर से :— परोकार सरकार

अपील अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 33/2022 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डोब के आराजी ख०नं० 1057 रकबा 0.02 है० किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को आराजी खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.02 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम डोब तहसील वजीरपुर पर सम्वत् 2079 पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास एवं पैनल्टी से दण्डित किया है, उक्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक मात्र पटवारी हल्का द्वारा मिथ्या बयानों के आधार पर बिना किसी जिरह का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया है। जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 133/2025 भरतू बनाम तहसीलदार वजीरपुर ।

पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकोर्ड नहीं है ना ही पूर्व में पारित बेदखली है इस कारण अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है , साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 06.09.2022 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2022 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी,
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी